छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 5 दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20–57/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019–24" की कंडिका–15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक–7 तथा परिशिष्ट–6.7 के प्रावधानों के अनुरूप "परियोजना प्रतिवेदन अनुदान" को अधिसूचित एवं क्रियान्वित करने हेतु दिनांक **1 नवंबर 2019** से **"छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2019"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1– <u>परिचय :–</u>

राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने अप्रवासी भारतीय, निर्यातक उद्योग तथा महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं निःशक्त वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 में "परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना" को लागू किया गया है।

2– <u>नियम :–</u>

यह नियम " **छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2019"** कहे जावेगें ।

3– <u>प्रभावी दिनांक:–</u>

यह नियम **दिनांक 01 नवंबर, .2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक** प्रभावशील रहेंगे।

4– परिभाषाएं :–

इस अधिसूचना के अन्तर्गत नियमों के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होगीं जो औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 में उल्लेखित हैं।

5– <u>पात्रता :–</u>

5.1– औद्योगिक नीति 2019–24 की कालावधि दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले **"औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–4 में उल्लेखित संतृप्त श्रेणी के उद्योगों"** को छोड़कर शेष, नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना पर एवं विद्यमान उत्पादनरत् उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता उद्योग स्थापना उपरांत होगी, किन्तु विद्यमान इकाई के प्रतिस्थापन पर इस योजना का लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।

5.2– पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति की समयावधि की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् स्वीकार नहीं होंगे। यदि किसी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समयावधि औद्योगिक नीति की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् आती है, तो संबंधित इकाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष मानी जावेगी।

5.3– यह आवश्यक है कि उद्योग/सेवा उद्यम में वाणिज्यिक उत्पादन अथवा सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करना होगा।

5.4– उद्योग स्थापित होने के उपरांत ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

5.5– उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप)/CITCON/MSME-DI संस्थान, के द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन अथवा राज्य के किसी विभाग/उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप)/CITCON/MSME-DI संस्थान, राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक कंसल्टेंट या निजी क्षेत्र के किसी कंसलटेंट, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, चार्टर्ड इंजीनियर से तैयार कराया गया, परियोजना प्रतिवेदन जिसमें परियोजना की वित्तीय लागत, विपणन की संभावनाएं, कच्चा माल की उपलब्धता तकनीकी पहलुओं, लाभ–हानि आदि का उल्लेख हो, पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

5.6– अन्य स्त्रोतों से परियोजना प्रतिवेदन पर लागत अनुदान प्राप्त किये जाने पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

5.7– औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ कर चुके इकाईयों के मामले में औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.14 के अन्तर्गत प्रावधानित विकल्प संबंधी प्रावधानों की पूर्ति करने पर इस अधिसूचना के तहत् परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता होगी।

5.8– औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि पर लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की नवीन स्थापना/पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) के विस्तार करने पर सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।

5.9– औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका (21) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित–चिन्हित/घोषित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमो को इस योजनांतर्गत निर्धारित मात्रा अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

6– **प्रक्रिया व अधिकार :–**

6.1 पात्र इकाईयों को निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजों (यथा स्थिति, जो लागू हो) के साथ विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(1) उद्यम आकांक्षा/आई0ई0एम0।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र।

(3) विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार अथवा शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों मे, इस हेतु पूर्व में प्राप्त की गई अनुमति।

(4) "उपाबंध–1" में निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र।

(5) "उपाबंध–2" में निर्धारित प्रारूप पर व्ययों से सबंधित चार्टड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र।

(6) निर्धारित एजेन्सी/कन्सलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्राप्त देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद।

(7) परियोजना प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति ।

(8) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों का संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/अभिलेख ।

(9) उपयोग में लाये जा रहे भू–खण्ड का व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–व्यपवर्तन से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।

(10) स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(11) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने की स्थिति में अनुमोदित ले–आउट एवं फैक्ट्री लाईसेंस।

(12) पर्यावरणीय सम्मति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(13) स्वामित्व के प्रकरणों में इकाई स्वामी का तथा भिन्न प्रकरणों में इकाई के पेन कार्ड की प्रति।

(14) इकाई का जीएसटीआईएन/सीआईएन क्रमांक।

6.2 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण कर समय–सीमा में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा।

6.3 ऑनलाईन प्राप्त अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में, प्रकरण में कमियॉ एक साथ बताते हुए वापिस किये जायेंगे तथा उपरांकित बिन्दु क्र. 6.1 में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता होने पर उसकी प्रति निरीक्षण के समय प्राप्त की जावेगी।

6.4 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार किया जायेगा ।

6.5 स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा परियोजना प्रतिवेदन अनुदान मद के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

6.6 बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध– 3 में अनुसार स्वीकृति आदेश जारी कर औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी। अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा। बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के सावधि ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी. एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) प्रणाली अथवा एनईएफटी, तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की प्रणाली अनुसार प्रेषित की जावेगी। जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

6.7 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का आबंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा ।

6.8 बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

7– **<u>परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की दर व मात्राः–</u>**

7.1– सामान्य वर्ग के उद्यमियो द्वारा स्थापित पात्र **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों** को परियोजना में किये गये स्थायी पूंजी निवेश का 01 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम सीमा रू. 2.5 लाख जो कम हो, के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन अनुदान देय होगा।

टीप– पूर्व उल्लेखित पात्रता संबंधी कंडिका क्र. 5.8 के अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थापित होने वाले कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) के प्रकरणों में उपरांकित तालिका अनुसार निर्धारित मात्रा/सीमा के अनुसार ही अनुदान देय होगा।

7.2– पात्र विद्यमान इकाईयों के विस्तार/शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की दर एवं अधिकतम सीमा उपरोक्त कंडिका क्रमांक–7.1 अनुसार ही होगी।

अप्रवासी भारतीय /प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी निवेशकों हेतु रू. 2.625 लाख एवं राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी/ राज्य के महिला स्व–सहायता समूह/ तृतीय लिंग/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों हेतु रू. 2.75 लाख होगी ।

7.3 औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.12 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं को सामान्य वर्ग के उद्यमियों/एफपीओ हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 2.5 लाख से 10

के उद्यमियों/एफपीओ हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 2.5 लाख से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा व अनुदान की सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी।

7.4 यदि कोई इकाई उपरोक्तानुसार दो या अधिक श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में सामान्य वर्ग के उद्यमी की तुलना में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत् अतिरिक्त अनुदान की पात्रता होगी।

7.5— यदि कोई निवेशक कंडिका 7.2, 7.3 एवं 7.4 श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत् अतिरिक्त अनुदान की पात्रता होगी।

8— **<u>अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—</u>**

(1) औद्योगिक इकाई को अनुदान के प्रथम वितरण दिनांक के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग उत्पादनरत रखना होगा।

(2) अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक आयुक्त/ संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल/गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इकाई का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा इकाई के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जावेगा।

(3) अनुदान स्वीकृति के उपरांत भी अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र. 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) को वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक बनाये रखना होगा ।

9— **"<u>परियोजना प्रतिवेदन अनुदान</u>" की <u>वसूली :—</u>**

9.1— परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/वितरित हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एकमुश्त वसूल की जा सकेगी/अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी।

9.2— उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू—राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी।

9.3— स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर/ नियम की किन्ही शर्तों का पालन भविष्य में न किये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकेंगें एवं यदि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकेंगें।

9.4— औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत

उपरोक्त कंडिका क्रमांक 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वसूली की जा सकेगी/अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी।

9.5– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक से वर्ग से संबंधित प्रमाण–पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी।

9.6– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

9.7– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

9.8– उपर्युक्त बिन्दु 9.1 से 9.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगें।

10– <u>अपील / वाद :–</u>

10.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश से असहमत होने पर आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी।

10.2– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अनुसूचित जाति/ जनजाति, निःशक्त/ नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

10.3– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

10.4– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

11– <u>स्वप्रेरणा से निर्णय :–</u>

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12– <u>कार्यकारी निर्देश :–</u>

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगे एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने

पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा ।

13– नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

15– <u>योजना का क्रियान्वयन</u>

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

(नियम 6.1 का बिन्दु क्र. (4)

// शपथ पत्र//

मै.................................... आत्मज.............................. प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई.. जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. कमांक ..../वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक.................................... है निम्नानुसार घोषणा करता हूं :–

1– मैंने छ.ग. शासन की औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी **"छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2019"** की पात्रता संबंधी कंडिका क्र. 5.5 के अनुसार अनुमोदित एजेन्सी/कंसल्टेंट द्वारा उद्योग की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया है व इस हेतु राशि रूपये ....(अक्षरों में) रू.. .... का भुगतान किया गया है।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन/अन्य किसी राज्य शासन के किसी विभाग /निगम/मंडल/बोर्ड/आयोग/वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन/अन्य किसी राज्य शासन के विभाग /निगम /मंडल/बोर्ड/आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान प्राप्त किया है ।

3– यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2019 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

4– उद्योग उत्पादनरत् व कार्यरत् है।

5– उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान प्राप्ति दिनांक तक व अनुदान प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

6– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर, अन्यथा किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि नियमानुसार निर्धारित ब्याज के साथ 30 दिवसों की अवधि में वापस कर दी जावेगी।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

(नियम 6.1 का बिन्दु क्र. (5)
(परियोजना प्रतिवेदन से संबंधित व्ययों का प्रमाण पत्र)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र)
(लेटर हैड पर) – मूल प्रति में

औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री................में स्थित है व जिसका उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. का कमांक ....,वं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................................. .... है, ने परियोजना प्रतिवेदन, कन्सलटेन्ट.. ....से तैयार करवाया है, जिस पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक...... ....तक किया गया व्यय रूपये.................................(अक्षरों में)........................... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :–

क्र.	परियोजना प्रतिवेदन एजेन्सी का नाम एवं परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु	देयक क्रमांक/ रसीद नं.	परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	योग			

स्थान
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील

हस्ताक्षर
पंजीयन पत्र क्रमांक

(नियम 6.6)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2019 के अन्तर्गत
अनुदान स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2019** के नियम **क्रमांक "6.6"** में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान** के भुगतान की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है :–

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप :

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– परियोजना प्रतिवेदन पर किया गया अनुमोदित व्यय–

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महप्रबंधक / महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र